झारखण्ड सरकार
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :— रा0खा0आ0 (शि0) राँची / PDS —12 / 2022 - 395

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः— 29.04.2024

विषयः— **जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के आवंटन की जाँच से संबंधित परिवाद पत्र पर कार्रवाई के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि परिवादी एल0 के0 सोनी, पता—नियर ठाकुर बाड़ी, नील रतन स्ट्रीट, अपर बाजार, राँची का परिवाद पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है। परिवादी द्वारा चान्हों प्रखण्ड के जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के खाद्यान्न उठाव एवं वितरण की जाँच करने का अनुरोध किया गया है। परिवाद पत्र में जिला आपूर्ति कार्यालय के ऑपरेटर के विरूद्ध प्रत्येक डीलर से 1500 / — रू0 लेकर सैकड़ो क्वीन्टल अनाज गबन किये जाने का आरोप भी लगाया गया है। साथ ही PDS डीलरों द्वारा दाल वितरण में भी अनियमितता का आरोप लगाया गया है।

अतः प्राप्त परिवाद पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करने की कृपा की जाय।

अनु0—यथोक्त।

विश्वासभाजन
29/4/24
(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\Vinod Sir.docx771

पता—झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची—834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

(332)

सेवा में,

दिनांकः–18.04.2024

झारखण्ड राज्य खादय् आयोग
राँची, झारखण्ड।

विषयः– जन–वितरण प्रणाली के बिक्रेताओं के आवंटन के जाँच के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना यह हैं कि चान्हो प्रखण्ड के जन–वितरण प्रणाली के दुकानदारों क्रमशः नितेश कुमार, रोम अरोष साहु, जीवन ज्योति महिला समूह चलीयों एंव मो0 शमीम अंसारी बल सोकरा पचांयत का पिछले अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के 10 महिनों का खाद्यान उठाव एंव वितरण का बायोडाटा की मांग करते हुए जाँच की जाय।

तब पता चलेगा कि कितने अनाज का कालाबाजारी उपरोक्त विक्रेताओ के द्वारा किया गया है।

D.S.O. के ऑपरेटर दिपक शर्मा द्वारा प्रत्येक डीलर से 1500/–रू0 लेकर सैकड़ों क्विंटल अनाज डकारा जा रहा है।

उपरोक्त डीलरों द्वारा अपने दुकान में लाभुकों की सूची आज तक प्रदर्शित नहीं किया है। इस पर भी तुरन्त कार्यवाही की जाए।

नीतेश कुमार साहु द्वारा भी दाल का वितरण 3 महिने का कागजों में ही किया गया हैं।

331

उपरोक्त अन्य दुकानदारों द्वारा पाँच रूपया पैकट पर लिया जाता है। जबकि एक रूपया ही लिया जाना चाहिए।

अतः श्रीमान आपसे दरख्वास्त है कि इन दुकानदारों का आवंटन एवं वितरण कि जाँच कर कड़ी से कड़ी कारवाई किया जाए एवं जन-वितरण प्रणाली दुकानों का लाईसेन्स निलम्बित किया जाए।

भवदीय

(एल.के.सोनी)
द्वारा-डी.के. साहु
पता-नीयर ठाकुर बाड़ी,
नील रतन स्ट्रट अपर बाजार
राँची-834001
मो० नं०-9135196939
9877691337